छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा

दाण्डिक अपील संख्या 1756/1995

अपीलार्थी कृष्णपाल सिंह, पिता- रामप्रसाद सिंह, जाति- कुशवाहा, आयु- लगभग 30 वर्ष, व्यवसाय- कृषक, निवासी बढ़ा, थाना बेसंडा, जिला बांदा (उ.प्र.)

विरुद्ध

प्रत्यार्थी मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

उपस्थित:

श्री शैलेन्द्र दुबे, विद्वान अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से।

श्री एम.पी.एस. भाटिया, उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत दाण्डिक अपील

मौखिक निर्णय

(दिनांक 06.01.2012 को घोषित)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रस्तुत अपील तृतीय अपर विशेष न्यायाधीश, बस्तर, जगदलपुर द्वारा विशेष प्रकरण संख्या 33/1995 में दिनांक 13-12-1995 को पारित निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अभियुक्त/अपीलकर्ता कृष्णपाल सिंह को स्वापक औषधि और मनोप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 20 के तहत दोषी ठहराया गया है। 1985 (जिसे इसके पश्चात् 'अधिनियम, 1985' कहा गया है) और उन्हें दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं रु.5,000/- जुर्माने की सजा दी गई है, जुर्माना न देने पर, छह माह के अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

2. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त कथन इस प्रकार है:

दिनांक 13-6-1995 को लगभग रात्रि 9 बजे थाना प्रभारी एन. कुजूर (अ.सा.-3), सहायक उप निरीक्षक विजयनाथ सिंह (अ.सा.-2) एवं अन्य कर्मचारियों के साथ भेजीपदार की दिशा में गश्त कर रहे थे।सहायक उप-निरीक्षक विजयनाथ सिंह (अ.सा.-2) नागरनार की बोदनापारा नदी पर जांच के लिए पहुंचे और थाना प्रभारी एन. कुजूर (अ.सा.-3) भेजीपदार सीमा पर जांच के लिए पहुंचे। घटना की तिथि अर्थात् दिनांक 14-6-1995 को लगभग रात 1:30 बजे, दो व्यक्ति ओड़िशा से आए। उनकी पहचान के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने अपना नाम जयराम और कृष्णपाल सिंह (अपीलकर्ता) बताया। विजयनाथ सिंह (अ.सा.-2) ने अपीलकर्ता को नोटिस (प्र.अ.-3) एवं लिखित तलाशी प्रमाणपत्र (प्र.अ.-2) दिया। उसने अपीलकर्ता से एक थैला बरामद किया जिसमें लगभग 5 किलोग्राम हरे बीज और गांजे के कण रखे थे। उसने उपरोक्त सामग्री की जब्ती प्र.अ.-4 द्वारा गवाहों की उपस्थिति में की। इसके पश्चात्, वह पुलिस थाना नागरनार आया और थाने में साक्षियों की उपस्थिति में विद्याधर (अ.सा.-1) से जब्त गांजा तुलवाया एवं तौल पंचनामा

(प्र.अ.-1) बनाया तथा तत्पश्चात् प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.अ.-6) दर्ज कराया और अपराध संख्या 95/95 पंजीकृत किया। उसने सुपुर्दनामा (प्र.अ.-7) के माध्यम से जब्तशुदा गांजा प्रधान आरक्षक मालखाना मुहर्रिर को सुपुर्द किया। उसने अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया तथा गिरफ्तारी ज्ञापन पत्र (प्रदर्श-5) तैयार किया। अन्वेषण अधिकारी एन. कुजूर (अभियोजन साक्षी-3) ने घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श-8) बनाया एवं साक्षियों के कथन अभिलिखित किये। जब्तशुदा गांजा को पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर के द्वारा परीक्षण के लिए न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर को प्रेषित किया गया। न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला ने अपने प्रतिवेदन (प्रदर्श-9) में प्रतिवेदित किया कि परीक्षण के लिए भेजी गई वस्तु गांजा पाई गई है।

अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात्, विशेष न्यायाधीश (सत्र न्यायाधीश) बस्तर (जगदलपुर) के न्यायालय में अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया।

जहां से यह स्थानांतरण पर तृतीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश, बस्तर, जगदलपुर द्वारा प्राप्त किया गया, जिन्होंने विचारण संचालित किया तथा अपीलकर्ता को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेंद्र दुबे द्वारा यह तर्क किया गया कि अधिनियम, 1985 की धारा 42, 50, 52 एवं 55 का समुचित अनुपालन नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी तर्क किया कि अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि थैले में गांजा विद्यमान था तथा थैले से प्राप्त नमूनों को सीलबंद किया गया एवं सील की प्रतिरूप छाप तैयार की गई नमूने प्राप्त नहीं किए गए तथा सम्पूर्ण थैला दिनांक 20-6-1995 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर को प्रेषित किया गया और वह दिनांक 28-6-1995 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर में प्राप्त हुआ। इसे पर्याप्त विलम्ब के उपरांत प्रेषित किया गया, जिसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, अपीलार्थी से की गई जब्ती विधि के अनुरूप नहीं थी।विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे गए थैले की सील में छेड़छाड़ की सम्भावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। फलस्वरूप, अपीलार्थी को उसके विरुद्ध अभिरचित अभियोग से दोषमुक्त होने का अधिकार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री एम.पी.एस. भाटिया ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि विद्वान अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश द्वारा आक्षेपित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के उपरांत, मैंने विशेष प्रकरण क्रमांक 33/1995 के अभिलेख का अवलोकन किया है। अभियोजन पक्ष ने विद्याधर (अ.सा.-1) का परीक्षण किया, जिन्होंने उक्त गांजा तौला, अनंतराम (अ.सा.-4), जो जब्ती के साक्षी हैं, तथा सहायक उप-निरीक्षक विजयनाथ सिंह (अ.सा.-2) का परीक्षणकिया, जिनके द्वारा अपीलार्थी से उक्त गांजा की तलाशी और जब्ती की गई।

6. मैं अब यह परीक्षण करूंगा कि क्या सहायक उप-निरीक्षक विजयनाथ सिंह (अभि.सा.-2) द्वारा अधिनियम, 1985 की धारा 42 का सारवान रूप से अनुपालन किया गया है। विजयनाथ सिंह (अभि.सा.-2) ने साक्ष्य में कथन किया कि दिनांक 14-6-1995 को वह थाना प्रभारी तथा थाने के अन्य कर्मचारियों

के साथ गश्त ड्यूटी पर गये थे। थाने से बाहर निकलने के पश्चात् उन्होंने स्वयं को दो दलों में विभाजित कर लिया था।एक दल उनके साथ गया तथा दूसरा दल थाना प्रभारी के साथ गया। घटना के समय, थाना प्रभारी अपने दल के साथ इन्द्रावती नदी के किनारे बैठे थे। वह अपने दल के साथ अन्य स्थान पर बैठे थे। घटना के समय, अचानक, दो व्यक्तियों ने नदी पार की। थाना प्रभारी ने उच्च स्वर में उन्हें पकड़ने के लिए कहा। उन्होंने अपने दल के साथ दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया।

7. कर्णनेल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2009) 8 SCC 539 के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> "35. निष्कर्षतः, यह ध्यान देने योग्य है कि अब्दुल रशीद इब्राहिम मंसूरी बनाम गुजरात राज्य, (2000) 2 SCC 513 में धारा 42(1) और 42(2) की अपेक्षाओं के शाब्दिक अनुपालन की आवश्यकता नहीं थी और न ही साजन अब्राहम बनाम केरल राज्य, (2001) 6 SCC 692 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 42(1) और 42(2) की अपेक्षाओं को पूर्ण किया जाना आवश्यक नहीं है। दोनों निर्णयों का प्रभाव निम्नानुसार था:
>
> (अ). अधिकारी को किसी व्यक्ति से [धारा 42 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की] सूचना प्राप्त होने पर उसे अभिलिखित करना था एवं संबंधित रजिस्टर में लिखित रूप से धारा 42(1) के खण्ड (क) से (घ) के अनुसार कार्रवाई करने हेतु आगे बढ़ने से पूर्व, तत्काल अपने निकटस्थ सरकारी वरिष्ठ को एक प्रति प्रेषित करनी थी।
>
> (ब). किन्तु यदि सूचना तब प्राप्त हुई जब अधिकारी पुलिस थाने में नहीं था, अपितु वह गतिमान था, चाहे गश्ती ड्यूटी पर हो या अन्यथा, चाहे मोबाइल फोन के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से, सूचना तात्कालिक कार्यवाही की अपेक्षा करती है तथा किसी भी देरी से माल या साक्ष्य को हटाया या नष्ट किया जा सकता था, तो ऐसी स्थिति में उसे दी गई सूचना को लिखित रूप में लेना व्यावहारिक नहीं होगा, ऐसी परिस्थिति में, वह धारा 42 (1) के खण्ड (क) से (घ) के अनुसार कार्रवाई कर सकता था और तत्पश्चात्, ज्यों ही व्यावहारिक हो, सूचना को लिखित रूप में अभिलिखित कर सकता था तथा तत्काल उसी की सूचना सरकारी वरिष्ठ को दे सकता था।
>
> (स). अन्य शब्दों में, प्राप्त सूचना को लेखबद्ध करने तथा उसकी प्रतिलिपि वरिष्ठ अधिकारी को प्रेषित करने के विषय में धारा 42 (1) और 42 (2) की अपेक्षाओं की पूर्ति, प्रायः अधिकारी द्वारा प्रवेश, तलाशी और जब्ती से पहले होनी चाहिए, परन्तु आपात स्थितियों से संबंधित विशेष परिस्थितियों में, सूचना को लिखित रूप में अभिलिखित करना तथा उसकी प्रति सरकारी वरिष्ठ को भेजना युक्तियुक्त

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अवधि के लिए स्थगित हो सकता है, अर्थात्, तलाशी, प्रवेश और अभिग्रहण के पश्चात् प्रश्न तात्कालिकता और समीचीनता का है।

(द). यद्यपि धारा 42 की उप-धारा (1) और (2) की अपेक्षाओं की पूर्णतः अपूर्ति अनुज्ञेय नहीं है, विलम्ब के संबंध में संतोषप्रद व्याख्या सहित विलम्बित अनुपालन धारा 42 की मान्य पूर्ति मानी जायेगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी विलम्ब के परिणामस्वरूप अभियुक्त के पलायन करने या माल अथवा साक्ष्य के नष्ट किये जाने या हटाये जाने की संभावना हो, तो कार्रवाई आरम्भ करने से पूर्व, प्राप्त सूचना को लिखित रूप में अभिलिखित न करना, अथवा ऐसी सूचना की प्रति सरकारी वरिष्ठ को तत्काल प्रेषित न करना, धारा 42 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। उदाहरणार्थ, यदि किसी विलम्बके परिणामस्वरूप अभियुक्त के पलायन करने या माल अथवा साक्ष्य के नष्ट किये जाने या हटाये जाने की संभावना हो, तो कार्रवाई आरम्भ करने से पूर्व, प्राप्त सूचना को लिखित रूप में अभिलिखित न करना, अथवा ऐसी सूचना की प्रति सरकारी वरिष्ठ को तत्काल प्रेषित न करना, धारा 42 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।किन्तु यदि सूचना तब प्राप्त हुई जब पुलिस अधिकारी पुलिस थाने में उपस्थित था और कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध था, और यदि पुलिस अधिकारी प्राप्त सूचना को लेखबद्ध करने में असफल रहता है, या उसकी प्रतिलिपि पदीय वरिष्ठ को प्रेषित करने में असफल रहता है, तो यह अधिनियम की धारा 42 का सुस्पष्ट उल्लंघन होने के कारण संदेहास्पद परिस्थिति मानी जायेगी। इसी प्रकार, जहां पुलिस अधिकारी सूचना को अभिलिखित नहीं करता है, और सरकारी वरिष्ठ को भी सूचित नहीं करता है, तब भी यह अधिनियम की धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन होगा। धारा 42 का पर्याप्त अथवा सारवान अनुपालन हुआ है या नहीं, यह प्रत्येक प्रकरण में निर्णीत किये जाने वाला तथ्य का प्रश्न है। उपरोक्त स्थिति अधिनियम संख्या 9 सन् 2001 द्वारा धारा 42 में किये गये संशोधन से और सुदृढ़ हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. मैंने विजयनाथ सिंह (अभि.सा.-2) के साक्ष्य का अवलोकन किया है। उन्होंने स्वयं द्वारा अथवा एन. कुजूर (अभि.सा.-3) द्वारा लेखबद्ध रूप में प्राप्त गुप्त सूचना के संबंध में कुछ भी नहीं कहा तथा ऐसी कोई भी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित नहीं की थी, यहाँ तक कि एन. कुजूर (अभि.सा.-3) ने भी किसी लिखित सूचना के विषय में कोई शब्द नहीं कहा।

अतः, यह स्पष्ट है कि अधिनियम, 1985 की धारा 42(2) के प्रावधान का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं हुआ है। कर्णनेल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (उपरोक्त) में प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत, अधिनियम, 1985 की

धारा 42(2) के प्रावधान का पूर्ण उल्लंघन दोषसिद्धि को दूषित करता है। (राजेन्द्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य, JT 2011 (8) SC 577 भी देखें)।

9. अब, मैं यह परीक्षण करूंगा कि क्या अन्वेषण अधिकारी द्वारा अधिनियम, 1985 की धारा 50 का सारवान रूप से अनुपालन किया गया है अथवा नहीं। अधिनियम, 1985 की धारा 50(1) के अधीन, वह अधिकारी जो अभियुक्त की तलाशी लेने वाला है, उस व्यक्ति को उसके इस अधिकार के बारे में सूचित करना अपेक्षित है कि उसकी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा किसी मजिस्ट्रेट द्वारा ली जाये। यदि वह व्यक्ति राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी का विकल्प चुनता है, तो उसे तत्काल उक्त अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जायेगा। अन्यथा, तलाशी संबंधित अधिकारी द्वारा ली जा सकती है। विधि की अपेक्षा के स्वरूप में अनिवार्य माना गया है तथा उसके अनुपालन न करने से विचारण दूषित हो जाता है।

10. विजयनाथ सिंह (अभि.सा.-2) ने साक्ष्य में कथन किया कि तलाशी लेने से पूर्व, उन्होंने अपीलार्थी को साक्षियों के समक्ष एक सूचना दी थी कि उसकी तलाशी उनके द्वारा अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा ली जाये। अपीलार्थी ने उनके द्वारा अपनी तलाशी के लिए सहमति प्रदान की। तलाशी की सूचना प्र.प.-2 है, जिस पर उनके हस्ताक्षर तथा अपीलार्थी के हस्ताक्षर हैं। कागजात की सूचना प्र.प.-3 है जिस पर भी उनके हस्ताक्षर तथा अपीलार्थी के हस्ताक्षर हैं।साक्षियों के समक्ष सूचना देने के पश्चात् अपीलार्थी की तलाशी लेने पर, उसके कब्जे से गांजा मिला, जिसे साक्षियों के समक्ष जब्त किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. प्रदर्शपी.-2 सहमति ज्ञापन है जिसके अंतर्गत अपीलार्थी ने राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लिए जाने हेतु सहमति व्यक्त की थी। प्रदर्शपी-2 में यह उल्लिखित है कि सूचना प्राप्त हुई थी कि अपीलार्थी के पास प्लास्टिक की थैली में अवैध गांजा विद्यमान है। इसमें आगे यह भी उल्लिखित है कि विजयनाथ सिंह (अभि.सा.क्र.-2) द्वारा अपीलार्थी से यह पूछा गया कि उसकी तलाशी स्वयं उनके (विजयनाथ सिंह-अभि.सा.क्र.-2) द्वारा ली जाए अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा ली जाए। अपीलार्थी ने प्रदर्शपी-2 द्वारा लिखित सहमति प्रदान की। उसके उपरांत, विजयनाथ सिंह (अभि.सा.क्र.-2) द्वारा अपीलार्थी के थैले की तलाशी ली गई।

12. निर्मल सिंह पहलवान उर्फ निम्मा बनाम निरीक्षक, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क गृह, पंजाब, जे.टी. 2011 (8) एस.सी. 581 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की है :

> “7. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं उद्धृत विधि के प्रतिपादनों के आलोक में प्रकरण के तथ्यों का परीक्षण किया है। प्रदर्शप.क. सहमति ज्ञापन है जिसके अंतर्गत अपीलार्थी ने राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का विकल्प चुना था।यह ज्ञापन गुरुमुखी लिपि में है और हमें इसे पढ़कर सुनाया गया है तथा हम यह देखते है कि किसी भी प्रकार की कल्पना से यह नहीं कहा जा सकता कि इसके द्वारा अपीलार्थी को राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लिए जाने के उसके अधिकार से अवगत

कराया गया था, क्योंकि उसे केवल इन दोनों में से किसी एक के समक्ष तलाशी लिए जाने का विकल्प दिया गया था।विजयसिंह के प्रकरण (उपरोक्त) में संविधान पीठ द्वारा उसके समक्ष उपस्थित विवाद को कंडिका1 में इस प्रकार सुस्पष्ट किया गया:

"इस अपीलों के समूह में विचारार्थ उत्पन्न संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या धारा 50...

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में "एन.डी.पी.एस. अधिनियम") सशक्त अधिकारी पर यह कर्तव्य अधिरोपित करता है कि वह संदिग्ध व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लिए जाने के उसके अधिकार से "सूचित" करे, यदि वह ऐसा चाहता है अथवा क्या उक्त अधिकारी द्वारा मात्र यह पूछताछ की, क्या संदिग्ध व्यक्ति मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लिया जाना चाहेगा, उक्त धारा के आदेश का सम्यक् अनुपालन कहा जा सकता है?"

9. इसलिए यह स्पष्ट है कि संविधान पीठ के समक्ष यथार्थ प्रश्न यह था कि क्या किसी सहमति पत्र को अभियुक्त को अधिनियम की धारा 50 के अधीन उसके अधिकार के बारे में संप्रेषित सूचना माना जा सकता है। संविधान पीठ ने स्पष्टतः कहा कि सहमति पत्र को ऐसी सूचना नहीं माना जा सकता है चूंकि अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान अनिवार्य होते हैं और सख्त अनुपालन आवश्यक है तथा उससे कोई भी स्थापित नियमों को दूषित कर देगा।यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि यह आवश्यक नहीं है कि यह सूचना लिखित रूप में हो किंतु सूचना किसी न किसी प्रारूप या स्त्रोत से संप्रेषित की जानी चाहिए जो प्रकरण के तथ्यों पर निर्भर करेगा। तदनुसार हमने अभि.सा.क्र.-4 प्रेम सिंह के साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उसने इस संबंध में कोई भी कथन नहीं किया है कि क्या उसने अपीलार्थी को उसके अधिकार से अवगत कराया था और उसने मात्र यह विकल्प लिया कि क्या वह राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लिया जाना चाहेगा, जैसा कि प्रदर्श प.क. में उल्लिखित है। विजयसिंह के प्रकरण (उपरोक्त) के निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 50 के उपबंधों का पूर्णतः अनुपालन नहीं हुआ है।

13. मैंने विजयनाथ सिंह (अभि.सा.-2) के साक्ष्य का अवलोकन किया है। उसने इस संबंध में किसी प्रकार का कथन नही किया है कि क्या उसने अपीलार्थी को उसके अधिकारों से अवगत कराया था। उसने मात्र यह विकल्प लिया कि क्या वह राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी लिया जाना चाहेगा।प्र.पी.-2 में यह वर्णित नहीं है कि अपीलार्थी को उसके इस अधिकार से अवगत कराया गया था कि उसकी तलाशी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा ली जा सकती है। केवल यह पूछना कि क्या अपीलार्थीराजपत्रित अधिकारी द्वारा तलाशी कराना चाहेगा, अधिनियम, 1985 की धारा 50 के उपबंधों का पर्याप्त अनुपालन

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

नहीं माना जा सकता। कर्णनेलसिंह (उपरोक्त) के निर्णय के आलोक में, मैं निर्धारित करता हूं कि अधिनियम, 1985 की धारा 50 के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन नहीं हुआ है।

14. वर्तमान प्रकरण में, यह प्रतीत होता है कि 5 किलोग्राम प्रतिबंधित वस्तु उस थैले से बरामद की गई थी, जिसे अपीलार्थी द्वारा परिवहन किया जा रहा था। ऐसी परिस्थितियों में, अधिनियम, 1985 की धारा 50 वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होगी।उपर्युक्त धारा केवल उस स्थिति में लागू की जा सकती है जहाँ प्रतिबंधित औषधि या वस्तु अभियुक्त की शारीरिक तलाशी के परिणामस्वरूप बरामद की गई हो।चूंकि गांजा अपीलकर्ता द्वारा ले जाए जा रहे थैले से बरामद किया गया है, इसलिए अधिनियम, 1985 की धारा 50 के उपबंध प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होंगे।

15. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र दुबे ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि सहायक उप-निरीक्षक विजयनाथ सिंह (अभि.सा.क्रमांक-2) द्वारा नमूने को प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियोजन के कथनानुसार, जब्ती दिनांक 14-6-1995 को की गई थी तथा थैली विधि विज्ञान प्रयोगशाला में रासायनिक जाँच हेतु दिनांक 28-6-1995 को प्राप्त हुई, अर्थात् जब्ती के लगभग 15 दिन उपरान्त अभियोजन पक्ष द्वारा मालखाना पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया।जिस सिपाही को थैले का संरक्षण सौंपा गया था, उसे साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया और रासायनिक प्रयोगशाला में थैली प्रेषित करने में हुई देरी स्पष्ट नहीं की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. दूसरी ओर, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री एम.पी.एस. भाटिया ने तर्क प्रस्तुत किया कि थैले को सम्यक् रूप से सीलबंद किया गया था तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे गए थैले पर लगाई गई मुहर के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना प्रदर्शित नहीं होती है।

17. मैंने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया है। विजयनाथ सिंह (अभियोजन साक्षी-2) ने कथन किया कि अपीलार्थी को थाने लाया गया तथा जब्तशुदा गांजा को विद्याधर (अभियोजन साक्षी-1) के समक्ष तुलवाया गया। तौल पंचनामा (प्रदर्श-पी-1) तैयार किया गया जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने साक्षियों की उपस्थिति में अपीलार्थी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी ज्ञापन प्रदर्श-पी-5 है, जिस पर उनके हस्ताक्षर अंकित हैं।उन्होंने प्रथम सूचना पत्र (प्रदर्श-पी-6) दर्ज की थी, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने आगे कथन किया कि जब्तशुदा सामग्री को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु प्रधान आरक्षक मालखाना मोहर्रिर को प्रदर्श-पी-7 के माध्यम से सुपुर्द किया गया था।

18. प्रदर्श-पी-4 जब्ती ज्ञापन है। जब्ती की तिथि एवं समय 14-6-1995 को प्रातः 1:30 बजे है। प्रदर्श-पी-4 में गांजे का वजन 5 किलोग्राम अंकित है। विद्याधर (अभियोजन साक्षी-1) ने कथन किया कि पुलिस अधिकारियों ने नगरनार स्थित उनकी दुकान में गांजा लाया था। वह गांजा एक प्लास्टिक की थैली में रखा हुआ था। तौलने पर गांजा 5 किलोग्राम पाया गया एवं तौल पंचनामा प्रदर्श-पी-1 के माध्यम से तैयार किया गया, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने कथन किया कि गांजा उनके पास दो आरक्षियों

द्वारा लाया गया था।उनके तौल के उपकरणों का परीक्षण नहीं किया गया। गांजे को 50 किलोग्राम की तराजू (तौल का उपकरण) में तौला गया था। गांजा एक थैले में था और उन्होंने बंद थैले को तौला था। उन्होंने आगे कथन किया कि जो थैला उन्होंने तौला था, वह उनके पास लगभग प्रातः 9-10 बजे लाया गया था।

19. विद्याधर (अभियोजन साक्षी-1) के साक्ष्य के अवलोकन के पश्चात्, यह प्रतीत होता है कि गांजा दिनांक 14-6-1995 को लगभग प्रातः 1:30 बजे जब्त किया गया था तथा उसी दिन, अर्थात् 14-6-1995 को लगभग प्रातः 9:10 बजे तौला गया था। यदि गांजा उसकी जब्ती के समय नहीं तौला गया था, तो जब्ती ज्ञापन (प्रदर्श-पी-4) में उसकी जब्ती के समय उसके वजन का उल्लेख किया जाना अभियोजन पक्ष के प्रकरण को संदेहास्पद बना देता है।

20. जब्ती ज्ञापन (प्रदर्श-पी-4) में यह उल्लेखित नहीं है कि जप्तशुदा सामग्री को घटनास्थल पर सीलबंद किया गया था। इस दस्तावेज पर मुहर की नमूना प्रतिरूप छाप भी अंकित नहीं है।

21. उप-निरीक्षक एन. कुजूर (अभियोजन साक्षी-3) ने कथन किया कि उन्होंने जप्तशुदा गांजे को परीक्षण हेतु पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा था। उन्होंने जप्तशुदा गांजे को परीक्षण के लिए थैले में भेजा था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट प्रदर्श-पी-9 है।

22. मैंने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया है। उप-निरीक्षक एन. कुजूर (अभियोजन साक्षी-3) ने कथन किया कि उन्होंने गांजे को रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर को भेजा था तथा एफ.एस.एल. की रिपोर्ट प्रदर्श-पी-9 है। रिपोर्ट (प्रदर्श-पी-9) में गांजे की उपस्थिति सकारात्मक पाई गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. मैंने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया है। उप-निरीक्षक एन. कुजूर (अभियोजन साक्षी-3) ने कथन किया कि उन्होंने गांजे को रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर को भेजा था तथा एफ.एस.एल. की रिपोर्ट (प्रदर्श-पी-9) प्राप्त हुई।प्रतिवेदन (प्र.पी-9) में गांजे की उपस्थिति सकारात्मक पाई गई। अधिनियम, 1985 की धारा 20 के अधीन साक्ष्य हेतु अभियोजन में, यह अभियोजन पक्ष का दायित्व है कि वह किसी संदेह से परे स्थापित करे कि अपीलकर्ता से कथित रूप से जप्तशुदा गांजे की मात्रा में से लिए गए नमूने को मुहरबंद किया गया और सील की नमूना छाप बनाई गई थी।अभियोजन पक्ष के लिए यह भी आवश्यक था कि वह सिद्ध करे कि मालखाने में नमूने की सुपुर्दगी के समय, थाने के थाना प्रभारी अधिकारी ने नमूना पैकेटों पर तथा गांजे की शेषबची हुई मात्रा पर भी अपनी मुहर लगाई थी।अभियोजन पक्ष को यह युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करना होगा कि नमूना पैकेटों पर न केवल जब्ती के समय अथवा मालखाने में सुपुर्दगी के समय लगाई गई मुहरें तब तक सुरक्षित रहीं जब तक नमूने के पैकेट रासायनिक विश्लेषण हेतु एफ.एस.एल. में सुपुर्द नहीं कर दिया गया।

24. राजस्थान राज्य बनाम भेर सिंह, (2009) 16 एस.सी.सी. 293 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, अभियोजन द्वारा यह सिद्ध करने में असफलता के संबंध में कि जब्तशुदा अफीम नमूने की सील विधि

विज्ञान प्रयोगशाला में जांच तक सुरक्षित रही थी, यह अभिनिर्णीत किया कि यह एक अनिवार्य आवश्यकता है, अतः दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

25. वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन पक्ष ने मालखाना प्रभारी अधिकारी का परीक्षण नहीं किया। उसने अपने साक्ष्य में मालखाना पंजी भी प्रस्तुत नहीं किया। यहां तक कि विजयनाथ सिंह (अभियोजन साक्षी-2) ने भी जब्त प्रतिबंधित सामग्री की सुरक्षित अभिरक्षा के संबंध में कुछ भी नहीं कहा। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श-पी-9) में, यह उल्लिखित है कि पैकेट (बोरी) दिनांक 28-6-1995 को आरक्षक 401 खेमराज साहू से प्राप्त हुआ था।रिपोर्ट (प्रदर्श-पी-9) में मुहर की नमूने की प्रतिरूप छाप का उल्लेख नहीं है। रिपोर्ट (प्रदर्श-पी-9) में यह भी उल्लिखित नहीं है कि पैकेट (बोरी) थाने के प्रभारी अधिकारी की मुहर की नमूना छाप के साथ प्राप्त हुआ था। यहां तक कि पुलिस अधीक्षक का ज्ञापन भी साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया। आरक्षक 401 खेमराज साहू का अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण नहीं किया गया।प्रतिबंधित सामग्री दिनांक 14-6-1995 को जब्त की गई एवं पैकेट (बोरी) दिनांक 28-6-1995 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में प्राप्त हुआ। इस कालावधि में पैकेट (बोरी) के संरक्षण को तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सामग्री को प्रस्तुत करने में विलंब के संबंध में कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है ।

26. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों पर सम्यक् विचारोपरांत, मेरा यह सुविचारित अभिमत है कि अधिनियम, 1985 की धारा 52 एवं धारा 55 का अनुपालन नहीं किया गया है, न तो विधि विज्ञान प्रयोगशालामें थैले को पहुंचाने में हुए विलम्ब के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है और न ही मालखाना पंजी को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है।अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि जब्तशुदा गांजा को मालखाना में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा मालखाना के प्रभारी अधिकारी, थाना प्रभारी अधिकारी एवं आरक्षक संख्या 401 खेमराज साहू को साक्ष्य में परीक्षण नहीं किया गया। अतएव, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-9) अधिनियम, 1985 की धारा 20 के अधीन अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने का आधार नहीं बन सकती। उपरोक्त के दृष्टिगत, आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।

27. तदानुसार, अपील स्वीकार की जाती है। मादक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 20 के अधीन अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि एवं दण्ड अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को संदेह का लाभ देते हुए, उसके विरुद्ध विरचित आरोप से उन्मोचित किया जाता है। उसके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूति से उन्मोचित किया जाता है।

हस्ताक्षर

आर.एस. शर्मा

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा।समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी

Translated by Adv Nikhat Shandan Jafri

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur